

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

आदेश

क्रमांक A/1208


जबलपुर, दिनांक 9/04/2021

II-18-5/13

उन मुस्लिम कर्मचारियों को जो रोजा रखने के आधार पर आवेदन करते हैं, को "रमजान माह" में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक 14.04.2021 से 13.05.2021 तक कार्यालय समाप्त होने के आधा घण्टा पूर्व सायं 04.30 बजे कार्यालय छोड़ने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त अनुमति से कार्यालय के कार्य पर कोई प्रभाव न पड़े।

(2) संबंधित कर्मचारी यह प्रयास करे कि उनके समस्त कार्य वे प्रतिदिन पूर्ण करेंगे।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक A/1209

जबलपुर, दिनांक 9/04/2021

II-18-5/13

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.,
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
 3. रजिस्ट्रार प्रशा./न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./व्ही./आई.एल./कम-पी.पी.एस./लेबर ज्यूडिशरी एवं परीक्षा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 4. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश अपलोड करने हेतु
 5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 6. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, म.प्र.
 8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
 9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 11. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 12. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 13. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(अरि.पी.एस. चुण्डावत)

रजिस्ट्रार (डी.ई.)